न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र 23/2021

प्रार्थी–

1. मिलापचन्द पुत्र जोराराम जाति सरगरा
   निवासी–कुचेरा तहसील व जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थी–

1. गणपतराम पुत्र जोराराम जाति सरगरा निवासी कुचेरा तहसील व जिला नागौर
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित –

1. अभिभाषक श्री इन्द्रसिह राठौड़ प्रार्थीया की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 10/8/2021

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के सहखातेदारी के खेताय मौजा–मातासुख तहसील जायल में आये हुये है जिनके खसरा नं. 169 रकबा 6.8877 हैक्टैयर के रूप में स्थित है। दौराने फौतगी नामान्तकरण प्रार्थी का नाम मिलापचन्द पुत्र जोराराम जाति सरगरा के स्थान पर रामकिशोर पुत्र जोराराम जाति सरगरा राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आम बोलचाल की भाषा में बोलता नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी सहायता प्राप्त करने में परेशानी आ रही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मातासुख तहसील जायल के खसरा नं. 169 में दर्ज गलत नाम रामकिशोर पुत्र जोराराम के स्थान पर मिलापचन्द पुत्र जोराराम जाति सरगरा दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश प्रदा करावे।

प्रार्थी का पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल पाराशर ने वकालात नामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी सं.

10/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2 राजपैरोकार ने प्रकरण हाजा में अपनी रिपोर्ट/जवाब मय हल्का पटवारी ढेहरी की मौका रिपोर्ट दिनांक : 05.08.2021 के प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि मौजा मातासुख तहसील जायल के खसरा नं. 169 में रामकिशोर, गणपत पिता जोराराम जाति सरगरा निवासी कुचेरा सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का नाम जरिये फौतगी नामान्तकरण संख्या 794, दिनांक 20.04.2003 के जरिये खातेदारी में बोलता नाम दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के अनुसार सही नाम मिलापचन्द पुत्र जोराराम है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मातासुख में है, परन्तु निवास स्थान ग्राम कूचेरा तहसील मुण्डवा है, रामकिशोर व मिलापचद दोनो एक ही व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मातासुख तहसील जायल के खसरा नं. 169 खातेदारी में रामकिशोर पुत्र जोराराम जाति सरगरा के स्थान पर मिलापचन्द पुत्र जोराराम जाति सरगरा शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र की ताहिद में प्रार्थी के अधिवक्ता ने हल्का पटवारी ढेहरी की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मौजा कुचेरा के खाता संख्या 310, खेत खसरा सं. 3848/2906 रकबा 2.8085 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 1440 के खसरा नं. 2906 रकबा 2.8166 हैक्टैयर की नकल खतौनी प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा मातासुख के खतौनी सं. 169 में फौतगी नामान्तकरण भरते समय प्रार्थी का बोलता नाम रामकिशोर दर्ज कर दिया गया, जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी सहायता प्राप्त किये जाने में परेशानी आ रही है, जबकि प्रार्थी का सही नाम मिलापचन्द पुत्र जोराराम है जिसके ताईद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब तथा साक्ष्य दस्तावेज में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी ग्राम मातासुख खसरा नं. 169 व नकल जमाबंदी खसरा नं. 2906 ग्राम कुचेरा में दर्ज नाम मिलापचन्द पुत्र जोराराम जाति सरगरा निवासी कूचेरा से होती है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मातासुख के खसरा नं 169 में दर्ज अशुद्ध नाम रामकिशोर पुत्र जोराराम के स्थान पर मिलापचन्द पुत्र जोराराम जाति सरगरा निवासी कूचेरा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम मातासुख तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 80 खसरा नं. 169 सम्वत् 2073–76 में प्रार्थी का नाम रामकिशोर दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही एवं शुद्ध नाम मिलापचन्द पुत्र जोराराम है। उक्त गलत नाम के कारण प्रार्थी को सरकारी सहायता प्राप्त नही हो रही है। साथ ही प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रामकिशोर के स्थान पर मिलापचन्द शुद्ध किये जाने में भू.अ. निरीक्षक तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने भी सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र, भामाशाह व आधार कार्ड संख्या की फोटो प्रति से एवं के अवलोकन से भी प्रार्थी का सही नाम मिलापचन्द होना तथा मिलापचन्द व रामकिशोर दोनो एक ही व्यक्ति के विभिन्न नाम होने की पुष्टि होती है। प्रार्थी का वास्तविक नाम मिलापचन्द पुत्र जोराराम ही जिसे राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रकरण हाजा को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 का मानते हुये प्रार्थी का नाम ग्राम मातासुख तहसील जायल के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 80 में दर्ज खसरान् 169 में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम–मातासुख तहसील–जायल जिला–नागौर के खाता संख्या 80 खसरा नं. 169 में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम रामकिशोर पुत्र जोराराम जाति सरगरा निवासी कूचेरा तहसील मुण्डवा के स्थान पर मिलापचन्द पुत्र जोराराम जाति सरगरा निवासी कूचेरा तहसील मुण्डवा दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 10/8/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

10/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner